अनुदान संख्या 103 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण
GRANT No. 103 - STATIONERY AND PRINTING

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत -	Voted –					
मूल	Original	253,11,00				
				263,17,00	237,82,31	-25,34,69
पूरक	Supplementary	10,06,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					8,03,30
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत -	Voted -					
मूल	Original	13,00				
				3,68,00	2,25	-3,65,75
पूरक	Supplementary	3,55,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹2534.69 लाख) मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1006.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹2534.69 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹1006.00 lakhs obtained in March, 2012 and constituted 10 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2058”	Major Head “2058”				
लेखन सामग्री तथा मुद्रण	Stationery and Printing				
मू.	O.	24281.00			
पू.	S.	1006.00	24536.20	22835.28	-1700.92
पु.	R.	-750.80			

(I) "लेखन सामग्री सामानों की खरीद और पूर्ति - लेखन सामग्री नियंत्रक" - ₹430.59 लाख की बचत (₹2600.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कागज की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Purchase and Supply of Stationery Stores – Controller of Stationery" – saving of ₹430.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2600.90 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for procurement of paper.

(II) "सरकारी मुद्रणालय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under "Government Presses" – savings occurred under the following heads:-

(का) "मुद्रण निदेशालय" - ₹202.22 लाख की बचत (₹664.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, सूचना प्रौद्योगिकी प्रस्तावों, कागज की अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, प्रेषण कार्य की संख्या में कमी आने, और ढुलाई संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Directorate of Printing" - saving of ₹202.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹664.10 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of IT proposal, procurement proposals of paper, decrease in number of dispatch work and non-finalisation of carrying contract.

(खा) "मुद्रणालय" - ₹3598.85 लाख की बचत (₹18190.49 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कागज, कम्प्यूटरों/हार्डवेयर की अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नयन स्कीम के बकाया के भुगतान के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Printing Presses" - saving of ₹3598.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18190.49 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of proposal for procurement of paper, Computers / Hardware and requirement of less funds towards payment of arrear of modified assured career progression scheme.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹93.73 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक थी।

(III) Under one head saving of ₹93.73 lakhs occurred constituting more than 10 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1939.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि "सरकारी प्रकाशन - प्रकाशन नियंत्रक" के अंतर्गत ₹1006.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1916.70 लाख था।

2. The above savings were partly (₹1939.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1006.00 lakhs under "Government Publications – Controller of Publications". Actual excess, however, was ₹1916.70 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹365.75 लाख) अगस्त, 2011 में प्राप्त किए गए ₹355.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 99 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹365.75 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹355.00 lakhs obtained in August, 2011 and constituted 99 percent of the total sanctioned provision.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4058" लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4058" Capital Outlay on Stationery and Printing				
मू.	O.	13.00	368.00	2.25	-365.75
पू.	S.	355.00			

(I) "सरकारी मुद्रणालय - मुद्रणालय" के अंतर्गत - ₹13.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹355.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹368.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹365.75 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रोगी वाहन (मोटर वाहन) के क्रय की प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Government Presses – Printing Presses" - the original provision of ₹13.00 lakhs was augmented to ₹368.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹355.00 lakhs. However, there was a saving of ₹365.75 lakhs (including supplementary grant)- due to non-finalisation of process for purchase of Ambulance (Motor Vehicle).

4. *सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभाग की मूल्यह्रास आरक्षित निधि:-*

सरकारी गैर - वाणिज्यिक विभाग की मूल्यह्रास आरक्षित निधि (गैर - वाणिज्यिक विभाग) का गठन संयंत्र, मशीनरी और फर्नीचर का नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित लागत को पूरा करने के लिए आरक्षित पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक पद्धति को शुरू कराने के लिए किया गया था ताकि मुद्रणालय को स्वत: कुशल कार्यस्थिति में रखा जा सके। मूल्यह्रास की गणना मुद्रणालय के कार्य यात्रा उत्पादन में उपयोग हो चुकी परिसंपत्तियों के मूल्य पर की जाती है। तदनुसार निधि में इतनी धनराशि होगी जो सामान्य टूट फूट पर खर्च होने वाली पूंजी की तुलना में पर्याप्त होगी। निधि को सरकारी लेखों में जमा के रूप में माना जाएगा और निधि को देय प्राप्तियों को वर्ष के दौरान निकाली गई मूल्यह्रास की वास्तविक राशि के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों की समाप्ति से ठीक पहले जमा कर देना होगा। विभाग की सूचना के आधार पर बचत प्रावधान किया जाता है। सरकारी मुद्रणालयों में मूल्यह्रास निधि के नियमावली के नियम 4 के अनुसार समय-समय पर शेष राशि पर ब्याज को निधि में इसलिए जमा नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकारी मुद्रणालयों में लागत प्रणाली में ब्याज की गणना मूल पूंजीगत मूल्य पर नहीं बल्कि ह्रासित पूंजीगत मूल्य पर ही की जाती है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के नियम 6 के अनुसार निधि से व्यय शुरू में उपयुक्त विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत

4. ***Depreciation Reserve Fund of Government Non-commercial department:-***

Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) was constituted for introducing the commercial practice to provide a reserve sufficient fund to meet the required cost for renewal and replacement of plant, machinery and furniture so that the Press may be kept automatically in an efficient working condition. Depreciation is calculated on the value of assets which had been used in producing the outturn of the Press. The Fund will accordingly contain an amount of money sufficient to replace the capital consumed by normal wear and tear. The fund shall be treated as a deposit in the Government accounts and receipts due to the Fund shall be credited immediately prior to the closing of the accounts of each financial year on the basis of the actual amount of depreciation worked out during the year. Budget provision is made on the basis of intimation from the Department. As per Rule 4 of Rules for the Depreciation Fund in Government Presses, interest on the balances in hand

लेखाबद्ध किया जाना चाहिए और वर्ष के अंत में उतनी ही राशि जमा लेखा मूल्यह्रास निधि से विस्तृत शीर्ष को अंतरित की जाएगी।

from time to time will not be credited to the fund owing to the fact that the costing system in Government Presses includes a calculation of interest, not on the original capital value, but on the depreciated capital value only. Further as per Rule 6 of the said Rules Expenditure from the fund must be accounted for in the first instance under the appropriate detailed head and at the end of the year an equivalent sum will be transferred from the Deposit Head depreciation Fund to the detailed head.

वर्ष 2011-2012 के लिए सरकारी मूल्यह्रास आरक्षित निधि (गैर - वाणिज्यिक विभाग) की राशि इस प्रकार थी :-

Account of Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) for 2011-12 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	24,59,07
प्राप्तियां	Receipts	1,76,36
अदायगियां	Payments	..
अंत शेष	Closing Balance	26,35,43